न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार– I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2024 / 02 दर्ज दिनांक : 26.12.2024

1. पवन कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जाति माली निवासी वार्ड संख्या 54, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

–अपीलांट–

बनाम

1. अनिता पुत्री महावीर प्रसाद जाति माली निवासी वार्ड संख्या 54, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. गोपाल पुत्र महावीर प्रसाद जाति माली निवासी वार्ड संख्या 54, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. चूकिया देवी पत्नी महावीर प्रसाद जाति माली निवासी वार्ड संख्या 54, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. रवि पुत्र महावीर प्रसाद जाति माली निवासी वार्ड संख्या 54, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. हीरालाल पुत्र भानीराम जाति माली निवासी वार्ड संख्या 54, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
6. राजकुमार पुत्र सीताराम जाति प्रजापत निवासी झारिया तहसील व जिला चूरू (राज.)
7. महेन्द्र कुमार पुत्र सीताराम जाति प्रजापत निवासी झारिया तहसील व जिला चूरू (राज.)
8. नानू देवी पत्नी पोखरमल जाति माली निवासी वार्ड संख्या 54, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
9. कैलाश चन्द्र पुत्र पोखरमल जाति माली निवासी वार्ड संख्या 54, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
10. शंकरलाल पुत्र पोखरमल जाति माली निवासी वार्ड संख्या 54, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
11. गीता देवी पुत्री पोखरमल जाति माली निवासी वार्ड संख्या 54, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
12. मीरा देवी पुत्री पोखरमल जाति माली निवासी वार्ड संख्या 54, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
13. शंकरलाल पुत्र पोखरमल जाति माली निवासी वार्ड संख्या 54, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
14. संतोष देवी पत्नी जगदीश प्रसाद जाति माली निवासी वार्ड संख्या 54, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
15. भींवराज सैनी पुत्र जगदीश प्रसाद जाति माली निवासी वार्ड संख्या 54, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
16. किशन लाल पुत्र जगदीश प्रसाद जाति माली निवासी वार्ड संख्या 54, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:23 IST
Reason: SelfAttested

17. सुमन देवी पुत्री शांति देवी पुत्री पोखरमल जाति माली निवासी वार्ड संख्या 54, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
18. महेन्द्र कुमार परिहार पुत्र शांति देवी पुत्री पोखरमल जाति माली निवासी वार्ड संख्या 54, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
19. सुरेन्द्र कुमार परिहार पुत्र शांति देवी पुत्री पोखरमल जाति माली निवासी वार्ड संख्या 54, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
20. अशोक कुमार परिहार पुत्र शांति देवी पुत्री पोखरमल जाति माली निवासी वार्ड संख्या 54, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

–रेस्पोडेन्ट–

उपस्थित अधिवक्ता
वादी श्री हनुमानसिंह राठौड
प्रतिवादी श्री शिव सिंह राठौड

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 75
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

निर्णय दिनांक : 22.12.2025

1. आज यह पत्रावली अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि अपीलान्ट की एक संयुक्त विरासतन कृषि भूमि रोही मोजा झारिया पट्टवार मण्डल झारिया भू.अ.नि. झारिया में खसरा संख्या 200/4.0848 हैक्ट. व खसरा संख्या 753/200/1.4543 हैक्ट. कुल किता 02 कुल तादादी 5.5391 हैक्ट. चली आ रही है जिसमें अपीलान्ट के दादा पोखरमल पुत्र नारायण राम का 155/876 हिस्सा विरासतन चला आ रहा है। जिनके स्वर्गवास के बाद से आज दिनांक तक अपीलान्ट एवं रेस्पोनेन्ट संख्या 1 ता 21 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है।
2. अपीलान्ट के दादा पोखरमल का स्वर्गवास दिनांक 24.01.1996 को हो चुका है। प्रमाण स्वरूप मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न अपील की जा रही है। अपीलान्ट के दादा के स्वर्गवास होने के पश्चात् अपीलान्ट के दादा के निम्नलिखित विधिक उत्तराधिकारी मौजूद है जिनका कुर्सीनामा निम्न प्रकार से है :–

पोकरमल पुत्र नारायण प्रसाद

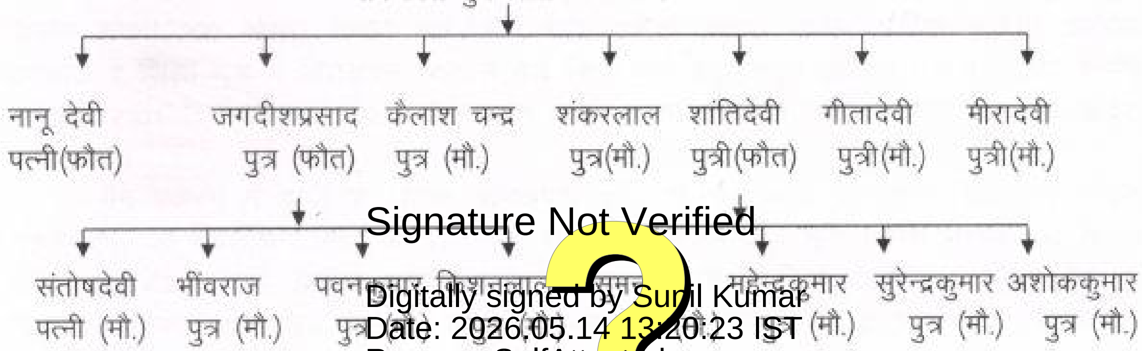

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:23 IST
Reason: SelfAttested

3. अपीलान्ट के दादा स्वर्गीय पोखरमल का स्वर्गवास होने पर अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विरासतन इंतकाल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर आई.एल.आर. हल्का झारिया द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जांच रिपोर्ट पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी एवं आई. एल. आर. हल्का झारिया की रिपोर्ट का बिना अवलोकन किये वर्तमान चली रही ऑनलाईन प्रक्रिया के दौरान संवहनीय भूलवंश आनन फानन में अस्वीकृत कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो जेर अपील अपास्त किये जाने योग्य है। अपास्त किया जावे।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार का कोई कारण भी अपने अपीलाधीन आदेश में अंकित नहीं किया गया जबकि न्यायालय द्वारा कोई भी आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलान्ट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 21 को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया जाना आवश्यक था जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया जो नैसर्गिक न्याय के मूल सिद्धान्तों के खिलाफ होने से उक्त आदेश जेर अपील अपास्त किये जाने योग्य है अपास्त किया जावे।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को पुर्नविलोकित किये जाने हेतु रेस्पोडेंट संख्या 14 के यहां प्रार्थना–पत्र प्रेषित कर अपीलाधीन आदेश को पुर्नविलोपित कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित करने का निवेदन भी किया गया जिस प्रार्थना–पत्र के प्रति संलग्न अपील की जा रही है।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश की अपीलान्ट को जानकारी होने पर अपीलान्ट द्वारा निर्णय आदेश एवं संबंधित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन करने अपीलार्थी को दिनांक 24.12.2024 को दस्तावेज प्राप्त होने पर अविलम्ब न्यायालय के उक्त अपील पेश की जा रहीहै।

7. अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत झारिया पंचायत समितिचूरू न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने व अधीनस्थ न्यायालय की अपील की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त होने से अपील अन्दर मियाद उचित न्याय शुल्क पेश की जा रही है।

अतः न्यायालय के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि खसरा संख्या 200 खसरा संख्या 753/200 रोही झारिया पटवार हल्का झारिया भू.अ.नि. झारिया तहसील व जिला चूरू में विरासतन इंतकाल दर्ज किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर पारित निर्णय इंतकाल 2301 दिनांक 18.10.2024 को अपास्त किया जाकर इंतकाल तस्दीक किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 11 व 12 की ओर से अधिवक्ता श्री शिवसिंह राठौड़ ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 10 व 13 ता 20 विधिवत तामिल बाद भी उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिए जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली में सीधे बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलान्ट की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि खसरा संख्या 200 खसरा संख्या 753/200 रोही झारिया पटवार हल्का झारिया भू.अ.नि. झारिया तहसील व जिला चूरू में विरासतन इंतकाल दर्ज किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर पारित निर्णय इंतकाल 2301 दिनांक 18.10.2024 को अपास्त किया जाकर इंतकाल तस्दीक किये जाने का आदेश प्रदान करें।

मैंने प्रकरण में वादी के [illegible] बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया अपीलान्ट की [illegible]तन कृषि भूमि खसरा संख्या 200 खसरा संख्या 753/200 रोही झारिया [illegible] तहसील व जिला चूरू में विरासतन इंतकाल दर्ज किये जा[illegible] पर पारित निर्णय इंतकाल 2301 दिनांक 18.10.2024 ग्राम पंचायत द्वारा निरस्त किया गया है। अ[illegible]न्ट द्वारा मृत्यु प्रमाण–पत्र, कुर्सीनामा एवं अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:23 IST
Reason: SelfAttested

आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे। इसके बावजूद ग्राम पंचायत झारिया द्वारा अस्वीकृत किया गया है और न ही अस्वीकृति के ठोस कारण अंकित किये हैं। बिना सुनवाई एवं कारण के आदेश पारित करना प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। ऐसे आदेश अपास्त किये जाने योग्य होते हैं। न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र न्यायोचित, विधिसंगत एवं स्वीकार किये जाने योग्य है। विरासतन इंतकाल में उभयपक्ष की सुनवाई करते हुए तस्दीक किया जाना उचित है। अतः

आदेश

अपीलार्थी की अपील बाबत् नामांतकरण संख्या 2301 दिनांक 17.09.2024 मौजा झारिया ग्राम पंचायत झारिया तहसील चूरू की दिनांक-18.10.2024 की कार्यवाही को निरस्त किया जाकर पत्रावली तहसीलदार चूरू को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि उक्त आराजी का नामांतरकरण 2301 दिनांक 17.09.2024 को अपास्त किया जाता है। संबंधित भूमि खसरा संख्या 200/4.0848 हैक्ट. व खसरा संख्या 753/200/1.4543 हैक्ट. कुल किता 02 कुल तादादी 5.5391 हैक्ट. रोही झारिया, तहसील व जिला चूरू में स्वर्गीय पोखरमल पुत्र नारायण राम के विधिक उत्तराधिकारियों के नाम विरासतन इंतकाल में उभयपक्ष की सुनवाई की जाकर तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22.12.2025 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार- I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:20:23 IST
Reason: SelfAttested